

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,  
जनपद जौनपुर।

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2020-21/8080 दिनांक: 17.03.2021  
विषयः—राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद जौनपुर में दिनांक 08-10 मार्च, 2021 में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया एस0पी0एम0यू0 कार्यालय पत्र सं0 SPMU/NHM/M&E/2020-21/18/2192-2 दिनांक 06-08-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके क्रम में, राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 08-10 मार्च, 2021 तक जनपद जौनपुर की चिकित्सा इकाईयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद में ब्लाक एवं उपकेन्द्र स्तर की चिकित्सा इकाईयों का स्थलीय पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या अद्योहस्ताक्षरी को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीय,

(डा० पी०क० श्रीवास्तव)

उप महाप्रबन्धक, आयुष

तददिनांक

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2020-21/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद जौनपुर।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिऽस्वा० एवं प०क०, वाराणसी मण्डल।
3. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ०प्र०।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/रीजनल मैनेजर, एन0एच0एम0, वाराणसी मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, जौनपुर को पर्यवेक्षण आख्या के सापेक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

\_\_\_\_\_

(डा० पी०क० श्रीवास्तव)

उप महाप्रबन्धक, आयुष

**सहयोगात्मक पर्यवेक्षण**  
**जनपद— जौनपुर**  
**दिनांक — 08.03.2021 से 10.03.2021**

मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, एस०पी०एम०य०, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या एस०पी०एम०य०/एन०एच०एम०/एम०एण्ड०ई०/2020'-21/18/2192-2 दिनांक 06.08.2020 के क्रम में पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुपालनार्थ दिनांक 08.03.2021 से 10.03.2021 को राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई द्वारा जनपद जौनपुर का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण दल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है—

1. डा० पी०के० श्रीवास्तव, उप महाप्रबन्धक, आयुष, एन०एच०एम०, एस०पी०एम०य०, लखनऊ।
2. श्री परमेश कुमार वर्मा, प्रशिक्षित एवं अनु० अधिकारी, कम्यूनिकेशन एन०एच०एम०, एस०पी०एम०य०, लखनऊ।

जनपद की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण जिला कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई के डी०पी०एम०, एम०एच०, कन्सलटेन्ट तथा डी०ए०एम० के साथ जिला की निम्न इकाईयों पर भ्रमण किया गया—

**जिला महिला चिकित्सालय, जौनपुर—**

भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
जिला महिला चिकित्सालय में कोविड वैविश्वनेशन की व्यवस्था संतोषजनक है, परन्तु लक्ष्य के सापेक्ष कम लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। कोविड टीकाकरण का दैनिक लक्ष्य 450 का है जिसके सापेक्ष मात्र 10 प्रतिशत (45-50) लाभार्थियों का ही टीकाकरण किया गया।	कोविड टीकाकरण हेतु जनमानस को जागरूक किये जाने की आवश्यकता है।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भुगतान की स्थिति असंतोषजनक है। कुल 3800 लाभार्थियों के सापेक्ष 1806 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है।	सम्बन्धित को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया।	
जिला महिला चिकित्सालय के प्रसव कक्ष में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण व्यवस्थित तरीके से नहीं रखे थे।	सम्बन्धित स्टाफ नर्स को समस्त उपकरण निर्धारित स्थान पर रखने हेतु सुझाव दिया गया।	हास्पिटल मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
पार्टॉग्राफ एवं केस शीट नहीं भरा जा रहा था।	मैट्रन को पार्टॉग्राफ एवं केस शीट भरे जाने का निर्देश दिया गया।	
प्रसव कक्ष में प्रोटोकॉल पोस्टर समुचित मात्रा में नहीं लगे थे।	जननी सुरक्षा योजना के प्रशासनिक मद से प्रोटोकॉल पोस्टर प्रिंट कराके लेबर रूम में लगाने हेतु सुझाव दिया गया।	
प्रसव कक्ष एवं ऑपरेशन थियेटर में कैलिस पैड उपलब्ध नहीं था। सम्बन्धित स्टाफ नर्स को कैलिस पैड के बारे में जानकारी भी नहीं थी।	स्टाफ नर्स को कैलिस पैड की उपयोगिता के बारे में बताया गया। उक्त के साथ ही कैलिस पैड का इन्डेन्ट करने हेतु निर्देशित किया गया।	हास्पिटल मैनेजर को प्रसव कक्ष में प्रयुक्त होने वाले पार्टॉग्राफ, केसशीट, चिकित्सालय एवं शौचालयों में साफ-सफाई की लॉग बुक, Spil Blood Management, कैलिस पैड की उपयोगिता, आक्सीजन एवं लॉग बुक की उपयोगिता एवं अन्य विषयों पर 15 दिवसों में चिकित्सालय के समस्त स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एवं सफाई कर्मचारियों का अभिमुखीकरण कराया जाये।
ऑपरेशन थियेटर में ऑक्सीजन सिलेण्डर भ्रमण की तिथि से 10 दिन		

<p>पूर्व से उपलब्ध नहीं था। सम्बन्धित स्टाफ नर्स द्वारा बताया गया कि उक्त के सम्बन्ध में इन्डेन्ट किया जा चुका है।</p>		
<p>प्रसव कक्ष, ऑपरेशन थियेटर एवं वार्ड में शौचालयों में सफाई हेतु लाग बुक नहीं लगायी गयी थी।</p>	<p>हास्पिटल मैनेजर को शौचालयों में लॉग बुक का महत्व बताते हुए लॉग बुक बनाकर लगाने हेतु निर्देशित किया गया।</p>	
<p>ऑक्सीटोसिन इन्जेक्शन का रखरखाव गाइडलाइन के अनुसार नहीं था।</p>	<p>ऑक्सीटोसिन इन्जेक्शन का रखरखाव गाइडलाइन के अनुसार करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।</p>	
<p>वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। वार्ड के अन्दर चाय आदि बेचने वाले आते जाते रहते हैं।</p>	<p>हास्पिटल मैनेजर निर्देशित किया गया कि वह तत्काल साफ—सफाई की व्यवस्था सही कराये तथा बाहर से आकर चाय आदि बेचने वालों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।</p>	
<p>जे०एस०एस०के० के अन्तर्गत नाश्ते के रूप में नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जा रहा है।</p>		
<p>कोविड के कारण हेल्प डेस्क वाले स्थान को ओ०पी०डी० हेतु प्रयोग किया जा रहा है।</p>	<p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय को हेल्प डेस्क की स्थापना मानकानुसार कराये जाने का सुझाव दिया गया।</p>	
<p>चिकित्सालय की प्रयोगशाला में प्रयोगशाला रिपोर्ट बनाने वाले कर्मचारी की नियुक्ति न होने के कारण मरीजों को माहर लगाकर रिपोर्ट दी जा रही है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है।</p>	<p>चिकित्सा अधीक्षक महोदय को प्रयोगशाला में सम्बन्धित कर्मचारी की नियुक्ति करने का सुझाव दिया गया।</p>	
<p>एम्बुलेन्स सेवाओं के लाभार्थियों के रिकार्ड कीपिंग हेतु चिकित्सालय द्वारा बनाये जाने वाला रजिस्टर नहीं बनाया गया है। एम्बुलेंस सेवाओं के वाहन एवं उपकरणों के भौतिक सत्यापन चिकित्सालय द्वारा नहीं कराया जा रहा है।</p>	<p>हास्पिटल मैनेजर को 7 कार्यदिवसों में चिकित्सालय द्वारा बनाये जाने वाला रजिस्टर बनाने एवं एम्बुलेंस सेवाओं के वाहन एवं उपकरणों के भौतिक सत्यापन चिकित्सालय द्वारा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</p>	
<p>चिकित्सालय परिसर में वाल राईटिंग, प्रचार प्रसार की सामग्री एवं डिस्प्ले संतोषजनक नहीं है। मानकों के अनुसार आई०ई०सी० कराये जाने का सुझाव दिया गया।</p>	<p>चिकित्सा अधीक्षक महोदय को निर्धारित आई०ई०सी० कराने हेतु सुझाव दिया गया।</p>	

## समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोबी, जनपद-जौनपुर

भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
<p>कोविड वैकिशनेशन की व्यवस्था संतोषजनक है, परन्तु लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया।</p> <p>कोविड टीकाकरण का दैनिक लक्ष्य 300-450 का है। जिसके सापेक्ष प्रतिदिन 150-200 लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा रहा है।</p>	<p>कोविड टीकाकरण हेतु जनमानस को जागरूक किये जाने की आवश्यकता है।</p>	चिकित्सा अधीक्षक
<p>समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रसव कक्ष अत्यन्त व्यवस्थित है। सम्बन्धित स्टाफ को प्रसव कक्ष में रखे उपकरणों के प्रयोग के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी थी।</p> <p>समस्त प्रोटोकाल पोस्टर लगे हुए थे।</p> <p>सिटीजन चार्टर का डिसप्ले था एवं परिसर में शिकायत पेटिका लगी थी।</p> <p>लाभार्थियों को समय से नाश्ता एवं भोजन प्रदान किया जा रहा है।</p>		
<p>पार्टीग्राफ भरा जा रहा है। केस शीट में Consent form पर बिना कुछ लिखे, तीमारदारों/लाभार्थियों के हस्ताक्षर कराये गये।</p>	<p>Consent form को पूर्ण भरकर, तीमारदारों/लाभार्थियों के हस्ताक्षर कराये जायें।</p>	
<p>चयनित एजेन्सी द्वारा मरीजों को मिलने वाली डाईट हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है। अधीक्षक द्वारा स्थानीय व्यवस्था से डाईट उपलब्ध करायी जा रही है, परन्तु डाईट रजिस्टर नहीं बनाया गया है।</p>	<p>चिकित्सा अधीक्षक महोदय को डाईट रजिस्टर अविलम्ब बनाने हेतु सुझाव दिया गया।</p>	
<p>एम्बुलेन्स सेवाओं के लाभार्थियों के रिकार्ड कीपिंग हेतु चिकित्सालय द्वारा बनाये जाने वाला रजिस्टर बनाया गया है परन्तु अधीक्षक द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा है।</p> <p>एम्बुलेन्स सेवाओं के वाहन एवं उपकरणों के भौतिक सत्यापन चिकित्सालय द्वारा नहीं कराया जा रहा है।</p>	<p>चिकित्सा अधीक्षक महोदय को एम्बुलेन्स सेवाओं के लाभार्थियों के रिकार्ड कीपिंग हेतु चिकित्सालय द्वारा बनाये जाने वाला रजिस्टर को अधीक्षक द्वारा सत्यापित करने एवं एम्बुलेन्स सेवाओं के वाहन एवं उपकरणों के भौतिक सत्यापन का सुझाव दिया गया।</p>	
<p>बायोमडिकल वेस्ट शेड बनाया गया है परन्तु उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।</p>	<p>बायोमडिकल वेस्ट शेड बनाया गया है का उपयोग करने का सुझाव दिया गया।</p>	
<p>चिकित्सा परिसर में बेकार सामान इधर-उधर पड़ा है। इसे एक</p>	<p>साफ-सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने का सुझाव दिया गया।</p>	

<p>निर्धारित स्थान पर रखने की आवश्यकता है। साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है।</p>	<p>इस हेतु लाग बुक का प्रयोग करने का भी सुझाव दिया गया।</p>	
<p>फैमिली प्लेनिंग कार्यक्रम के प्रपत्र/रजिस्टर में सूचनायें निर्देशानुसार अंकित नहीं की गयी हैं।</p>	<p>फैमिली प्लेनिंग काउन्सलर को फैमिली प्लेनिंग कार्यक्रम के प्रपत्र/रजिस्टर में सूचनायें निर्देशानुसार अंकित करने हेतु अभिमुखीकृत किया गया।</p>	<p>फैमिली प्लेनिंग काउन्सलर</p>
<p>अन्तरा गर्भ निरोधक, आई०यू०सी०डी, रजिस्टर रिकार्ड व्यवस्थित रूप से नहीं भरा गया था। बल्कि रिकार्ड आधे अधूरे पाए गए। फालोअप रिकार्ड पर सम्बन्धित व्यक्ति एवं आशा के हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए।</p>		

### उपकेन्द्र स्तरीय हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, चन्दवक-डोभी, जनपद-जौनपुर

भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
चिकित्सा इकाई एक प्रसव इकाई के रूप में कार्य कर रही है।		
प्रसव कक्ष में कैलिस पैड था परन्तु फूला हुआ नहीं था। सम्बन्धित ए०एन०एम० को उसके नियमानुसार उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी।	सम्बन्धित को कैलिस पैड के उपयोग के सम्बन्ध में बताया गया एवं निर्देशित किया गया कि भविष्य में वह प्रसव के समय कैलिस पैड का प्रयोग अवश्य करेगी।	
प्रसव कक्ष एवं वार्ड में गंदगी थी।	सी०एच०ओ० को साफ-सफाई कराने हेतु निर्देशित किया गया।	
हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पेय जल की समुचित व्यवस्था नहीं थी।	पेय जल की व्यवस्था हेतु चिकित्सा अधीक्षक को सुझाव दिया गया।	
हेत्थ एण्ड वेलनेस क्षेत्र में कार्यरत आशाओं द्वारा फैमिली फोल्डर एवं सीबैक फार्म नहीं भरे जा रहे हैं।	सी०एच०ओ० को यथा शीघ्र आशाओं द्वारा फैमिली फोल्डर एवं सीबैक फार्म भराना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे कि लाभार्थियों की गैर संचारी रोगों हेतु ससमय स्क्रीनिंग की जा सके।	सी०एच०ओ०
<p>1. केन्द्र पर हीमोग्लोबिन स्ट्रिप उपलब्ध न होने के कारण ए०एन०सी० लाभार्थियों का हीमोग्लोबिन की जाँच नहीं की जा रही है।</p> <p>2. उपकेन्द्र पर हेपेटाईटिस-बी की स्ट्रिप, डेंगू किट, मलेरिया किट उपलब्ध नहीं है।</p> <p>3. ब्लड शुगर जाँच की सुविधा उपलब्ध है परन्तु सी०एच०ओ० द्वारा ए०एन०सी० एवं अन्य मरीजों की नियमित तौर पर ब्लड शुगर की जाँच करना सुनिश्चित करे।</p>	सी०एच०ओ० को निर्देशित किया गया कि वह विभिन्न प्रकार की आवश्यक हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर अनुपलब्ध किटों हेतु इन्डेन्ट करें एवं ए०एन०सी० एवं अन्य मरीजों की नियमित तौर पर ब्लड शुगर की जाँच करना सुनिश्चित करे।	सी०एच०ओ० / बी०सी०पी० एम० / चिकित्सा अधीक्षक

जाँच नहीं की जा रही है।

राज्य स्तरीय दल द्वारा डी०सी०पी०एम०/बी०सी०पी०एम० को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर से सम्बन्धित समस्त आशाओं, सी०एच०ओ० एवं ए०एन०एम० का गैर संचारी रोग, फैमिली फोल्डर, सी०बैक फार्म, एन०सी०डी० एप्लीकेशन आदि के सम्बन्ध में अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।

  
15/03/2021

  
15/03/2021